2009 में संसदीय कानून-1956 में संशोधन किया गया जिसके परिणामस्वरूप, न्यायाधीशों की संख्या 31 हो गई। 2019 में संसदीय कानून में सबसे नया संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 34 कर दी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय नहीं है, यह संसद पर निर्भर करती है। यह संख्या सर्वोच्च न्यायालय के बढ़ते कार्यभार के साथ बढ़ा दी जाती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 5800 लंबित मुकदमे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की बैठक Seat of Supreme Court

अनुच्छेद 130 के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली में होगी। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक बेंच का गठन भारत के अन्य भागों में भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके तथा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रदत्त प्रावधान के अंतर्गत, एक से अधिक बेंच भी स्थापित की जा सकती हैं।

विधि आयोग ने देश के अन्य भागों में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना का सुझाव रखा है। किन्तु मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। न्याय तक पहुँच बढ़ाने हेतु अनेक बेंच सहायक सिद्ध हो सकती हैं किन्तु मुख्य न्यायाधीश इन बेंच पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखेंगे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा युक्त अधिपत्र के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग [National Judicial Appointment Commission (NJAC)] के सुझावों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 99वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एनजेएसी का गठन किया गया था जिसके अंतर्गत एक नया प्रावधान अनुच्छेद 124 (अ) को संविधान में स्थान दिया गया है। व्यवहार में, न्यायाधीशों की नियुक्ति एनजेएसी नहीं अपितु कॉलेजीयम के अंतर्गत होती है। संविधान में इन तंत्रों का उल्लेख नहीं है। नियुक्ति का मुद्दा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच विवाद का विषय रहा है।

मूल योजना

मूल संविधान के तहत, अनुच्छेद 124 (2) में यह प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय हेतु न्यायाधीश की नियुक्ति करने के दौरान, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिन्हें वे योग्य मानते हों, से मंत्रणा करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के दौरान मुख्य न्यायाधीश से मंत्रणा करना आवश्यक है। स्थापित परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किए जाएँगे।

वर्ष 1973 में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विवाद उठा। पहले सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों, क्रमशः न्यायमूर्ति जेएम शेलात, न्यायमूर्ति एएन ग्रोवर तथा न्यायमूर्ति केएस हेगड़े, का अधिक्रमण करके वरिष्ठता के मामले में चौथे पायदान पर आने वाले न्यायमूर्ति एएन रे को सीजेआई नियुक्त किया गया। तीनों वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने इन वरिष्ठतम न्यायाधीशों को दंडित किया क्योंकि उन्होंने केशवानन्द भारती मामले में मूल संरचना के सिद्धान्त का समर्थन किया था। हालाँकि, सरकार ने वरिष्ठता के अधिक्रमण का बचाव यह कह कर किया कि नियुक्ति योग्यता तथा कार्यकुशलता के आधार पर की गई है। यह उल्लेखनीय है कि एएन रे ने केशवानन्द भारती सहित सर्वोच्च न्यायालय के अन्य मुकदमों में भी सरकारी पक्ष के प्रति समर्थन प्रस्तुत किया था।

राष्ट्रपति की प्रमुखता

A -20,102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema),Commercial Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 09 Ph : 011 - 40535897, 09899156495
E – mail - saraswati.ias@gmail.com, Visit us;www.saraswatiias.com